



Neutral Citation No. - 2026:AHC:172061-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या- 17501/2026

वैशाली एवं एक अन्य

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : बिकाश कुमार मिश्रा, सुमित मिश्रा

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, सत्यम मिश्रा

न्यायालय संख्या- 49

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट

माननीय न्यायमूर्ति दिवेश चन्द्र सामन्त

श्री विकास कुमार मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता, याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 1 प्रतिफल के लिए सद्भावी क्रेता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी अपराध का प्रकटीकरण नहीं करती है और निरस्त किए जाने योग्य है।

इसके विपरीत, श्री हर्ष दीप बेनीवाल एवं श्री सत्यम मिश्रा, प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से विद्वान अधिवक्तागण तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. प्रस्तुत करते हैं कि संक्षेप में, प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित अभियोजन प्रकरण यह है कि प्रथम सूचनाकर्ता की माता विवादित संपत्ति की विधिक स्वामिनी एवं कब्जे में थीं। प्रथम सूचनाकर्ता की माता ने दिनांक 27.09.2025 को उसके पक्ष में एक पंजीकृत दान विलेख निष्पादित किया, जिसके द्वारा समस्त स्वामित्व अधिकार बिना किसी शर्त के प्रथम सूचनाकर्ता में निहित कर दिए गए। याचिकाकर्तागण ने आपत्तिजनक विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए एक प्रतिरूपक को प्रस्तुत किया।

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि विक्रय विलेख में विक्रेता के रूप में अंकित महिला के फोटोग्राफ मुन्नी देवी के नहीं हैं। अंततः यह भी प्रस्तुत अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया गया है कि चेक कभी भी उक्त मुन्नी देवी के बैंक खाते में जमा नहीं हुए। चेक की राशि न तो मुन्नी देवी के खाते में जमा हुई और न ही उक्त मुन्नी देवी द्वारा निकाली गई। उक्त मुन्नी देवी को प्रतिफल का कभी भुगतान नहीं किया गया, जो वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कपट की भी पुष्टि करता है।

श्री हरदीप बेनीवाल, प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध के कारित किए जाने को स्थापित करती है, जिसकी विवेचना आवश्यक है। इस स्तर पर याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से विवेचना में बाधा उत्पन्न होगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट को चुनौती तथा अंतरिम संरक्षण प्रदान किए जाने के प्रश्न की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 सप्लीमेंट (1) एस.सी.सी. 335 तथा नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2021) 19 एस.सी.सी. 401** में प्रतिपादित विधि के आलोक में की जानी है।

उपर्युक्त प्रस्तुतियों का याचिकाकर्ता की ओर से संतोषजनक रूप से खंडन नहीं किया जा सका।

पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराधों के कारित किए जाने का प्रकटीकरण करती है और विवेचना अपेक्षित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में याचिकाकर्ता को मुख्य अपराधकर्ता के रूप में चिन्हित किया गया है। इस स्तर पर अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाना न केवल विवेचना को प्रभावित करेगा, बल्कि साक्ष्य की हानि या उसके लोप होने का कारण भी बन सकता है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में ऐसी कार्यवाही **भजन लाल (उपर्युक्त)** तथा **नीहारिका (उपर्युक्त)** में प्रतिपादित विधि के विपरीत होगी।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए न्यायालय द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किए जाने के आधारों को बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने **भजन लाल (उपर्युक्त)** में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"102- अध्याय XIV के अन्तर्गत संहिता के विभिन्न सुसंगत उपबंधों की व्याख्या तथा अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत असाधारण शक्ति अथवा संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित विधि के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत एवं पुनरुत्पादित किया है, हमने उदाहरण के रूप में प्रकरणों की निम्नलिखित श्रेणियां दी हैं, जिनमें *अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए अथवा अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, यद्यपि ऐसे असंख्य प्रकार के प्रकरणों की कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित तथा पर्याप्त रूप से निर्देशित और अपरिवर्तनीय दिशानिर्देश अथवा कठोर सूत्र निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है और न ही ऐसे समस्त प्रकार के प्रकरणों की एक संपूर्ण सूची दी जा सकती है, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1)- जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके प्रथमदृष्टया स्वरूप में लिया जाए और पूर्णतः स्वीकार किया जाए, प्रथमदृष्टया किसी अपराध का गठन नहीं करते हैं अथवा अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रकरण नहीं बनाते हैं।

(2)- जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ संलग्न अन्य सामग्री, यदि कोई हो, किसी संज्ञेय अपराध का प्रकटीकरण नहीं करती है, जो संहिता की धारा 156(1) के अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों द्वारा विवेचना किए जाने को न्यायोचित ठहराता हो, सिवाय इसके कि संहिता की धारा 155(2) के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन ऐसी विवेचना की जा सकती है।

(3)- जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप तथा उनके समर्थन में एकत्रित किए गए साक्ष्य किसी अपराध के कारित किए जाने का प्रकटीकरण नहीं करते हैं और अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रकरण नहीं बनाते हैं।

(4)- जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां संहिता की धारा 155(2) में परिकल्पित मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा कोई विवेचना अनुमन्य नहीं है।

(5)- जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने असंगत एवं स्वभावतः असंभाव्य हैं कि उनके आधार पर कोई विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस न्यायोचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6)- जहां संहिता अथवा संबंधित अधिनियम, जिसके अन्तर्गत आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई है, के किसी उपबंध में कार्यवाही के संस्थित किए जाने और उसके जारी रहने के लिए कोई स्पष्ट विधिक बाधा अंतर्निहित है और/या जहां संहिता अथवा संबंधित अधिनियम में पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी प्रतितोष का कोई विशिष्ट उपबंध किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(7)- जहां कोई आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण हो और/या जहां कार्यवाही अभियुक्त के विरुद्ध प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से तथा निजी एवं व्यक्तिगत रंजिश के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्वक संस्थित की गई हो।

103- हम इस संबंध में सावधानी की एक टिप्पणी भी करते हैं कि आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की शक्ति का प्रयोग अत्यंत विरलता से एवं सावधानीपूर्वक और वह भी अत्यंत विरलतम प्रकरणों में किया जाना चाहिए; न्यायालय प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता अथवा वास्तविकता या अन्यथा के संबंध में जांच करने के लिए आगे बढ़ने के लिए न्यायोचित नहीं होगा और असाधारण अथवा अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी इच्छा अथवा मनमाने ढंग से कार्य करने के लिए कोई स्वेच्छाचारी अधिकारिता प्रदान नहीं करती हैं।"

नीहारिका (उपर्युक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने विधि को निम्नानुसार स्पष्ट किया है:

"33.16- उपर्युक्त मानदंड लागू होंगे और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत और/या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी निरस्तीकरण याचिका में अंतरिम आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त पहलुओं पर विचार किया जाना अपेक्षित है। हालांकि, निरस्तीकरण याचिका के लंबित रहने के दौरान विवेचना पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश सावधानीपूर्वक पारित किया जा सकता है। ऐसा अंतरिम आदेश नियमित रूप से, आकस्मिक रूप से और/या यांत्रिक रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए। सामान्यतः, जब विवेचना प्रचलित हो और तथ्य अस्पष्ट हों तथा संपूर्ण साक्ष्य/सामग्री उच्च न्यायालय के समक्ष उपलब्ध न हो, तो उच्च न्यायालय को गिरफ्तारी न करने अथवा 'कोई बलपूर्वक कार्रवाई न किए जाने' का अंतरिम आदेश पारित करने से स्वयं को रोकना चाहिए और अभियुक्त को सक्षम न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत अग्रिम जमानत हेतु आवेदन करने के लिए भेजा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय को न तो गिरफ्तारी न करने और/या 'कोई बलपूर्वक कार्रवाई' न किए जाने का आदेश पारित करना चाहिए और न ही ऐसा करना न्यायोचित है, चाहे वह विवेचना के दौरान हो अथवा विवेचना पूर्ण होने तक और/या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अन्तर्गत अंतिम रिपोर्ट/आरोप-पत्र दाखिल होने तक, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत निरस्तीकरण याचिका को खारिज/निस्तारित किया जा रहा हो।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भजन लाल (उपर्युक्त) तथा नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर (उपर्युक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर पूर्णतः लागू होते हैं और हमें याचिकाकर्तागण को कोई अंतरिम संरक्षण प्रदान करने से विरत करते हैं।

समान कारणों से प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किए जाने की राहत भी अस्वीकार किए जाने योग्य है।

याचिकाकर्ता के लिए यह सदैव खुला है कि वह ऐसी अन्य विधिक उपचारों का लाभ उठा सकता है, जैसा कि उसे विधिक परामर्श दिया जाए।

रिट याचिका तदनुसार **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति दिवेश चन्द्र सामंत) (न्यायमूर्ति अजय भनोट)

14 अगस्त, 2026

वीरेन्द्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।